संख्या-51/2024/।/687786/2024/77-3099/122/2023

प्रेषक,

सुजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 09.07.2024

विषय- उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि से स्वीकृत कराये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 195/यूपीडा/डिफेन्स कॉरिडोर/1871/23 दिनांक 04.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक "5054-03-337-08-24" में प्राविधानित एकमुश्त धनराशि रू0 45000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक 10.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-3/2023/बी-3-495/दस-2023-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक 14.06.2023 के प्राविधानों के क्रम में वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंकित कुल 7 कार्यो लागत रू0 21300.00 लाख की कार्ययोजना निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख में)

क्र0स0	नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति लाख में
1	आगरा नोड पर अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर बाउण्ड्री वाल का कार्य।	1500	400
2	अलीगढ नोड के फेज-2 में 86 हे0 भूमि जिसका अधिग्रहण प्रक्रियाशील है , की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	2000	1000
3	अलीगढ़ नोड के फेज-2 में आंतरिक सड़क का निर्माण कार्य	2500	1000
4	अलीगढ़ नोड के फेज-2 में 33/11 के0वी0ए0 2 X 5 एम0सी0ए0 सब्स्टेशन का निर्माण कार्य	800	500
5	अलीगढ़ नोड फेज-2 में जल आपूर्ति जल निकासी , सीवरेज सिस्टम, एस0टी0पी0 1 X एम0एल0डी0 ओ0एच0टी0 2 X बोरवेल का कार्य	5000	800
6	सेंटर आफ एक्सीलेंस 2024-25	1000	1000
7	अलीगढ , आगरा, कानपुर में अतिरिक्त भूमि क्रय के लिए	8500	7500
	कुल योग	21300.00	12200.00

शर्त/प्रतिबन्ध

(1) यूपीडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20/2022/बी-1-671/दस-2022-12(2)/2023 दिनांक 29.09.2023 के प्रस्तर-8 (17) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तावित भूमि क्रय हेतु उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-7 हेतु धनराशि की व्यवस्था मानक मद '60-भूमि क्रय' में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

यथासमय/यथावश्यकतानुसार पुनर्विनियोग (वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु) के माध्यम से ससमय धनराशि का प्राविधान कराना चाहेंगे।

(2) यूपीडा द्वारा कार्ययोजना पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014, 10.03.2021 तथा 14.06.2023 के प्रावधानों के अनुसार यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(3) संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित बजट की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त करेंगे।

(4) परियोजनाओं के वित्त पोषण की द्विरावृत्ति होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व यूपीडा का होगा।

(5) यूपीडा वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए निर्गत शासनादेश दिनांक 04.03.2024 तथा प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में संगत नियमों/शासनादेशों/दिशा-निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) परियोजनाओं के वित्त पोषण की द्विरावृत्ति होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व यूपीडा का होगा।

(7) यूपीडा द्वारा उक्त कार्ययोजना में पूंजीगत व्यय के कार्यो हेतु केन्द्र की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्टस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के अन्तर्गत भारत सरकार से भी सहायता प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुजीत कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
11. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुजीत कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in